

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/810/2018- 733 राँची/दिनांक-06.08.2018

आदेश

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की परियोजनाओं में GIS (Geographical Information System) का समावेश करने एवं नई परियोजनाओं में GIS का उपयोग करने के लिए नीति निर्धारण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु विभाग में मुख्यालय स्तर पर एक 'GIS Cell' (जी०आई०एस कोषांग) का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

- I. कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-2, :— संयोजक
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।
 - II. सहायक अभियंता (MIS) योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, :— सदस्य
जल संसाधन विभाग, राँची।
 - III. कनीय अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, :— सदस्य
जल संसाधन विभाग, राँची।
2. कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-1, यथावत् जी०आई०एस० के नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करते रहेंगे एवं मुख्य अभियंता (मोनिटरिंग) के निर्देशन में उपर्युक्त चार सदस्य, विभागीय स्तर पर GIS संबंधी समस्त कार्यों का संपादन करते रहेंगे।
3. इस कोषांग का सचिवालयीय कार्यालय तत्काल अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची की स्थापना से होगा तथा इसके कर्तव्य एवं दायित्व निम्नवत् होंगे :-
- i. Data Compilation, Data authentication and Quality Checking with Senior Officials,
 - ii. To explore the fields of GIS and related softwares for use of latest technology in Project formulation and monitoring of WRD projects,
 - iii. To co-ordinate with JSAC for digitization and utilization of available department data (like organization structure, Dams, Reservoirs & Levels, Canals, Structures, Outlets, CDs, contours upto 0.5m etc.),
 - iv. To Arrange training for personnel of WRD to utilize layers prepared by JSAC,
 - v. To prepare team of Master Trainers in the GIS field of WRD,
 - vi. To co-ordinate with JSAC for application of NSDI (National Spatial Data Infrastructure),
 - vii. To co-ordinate with other states and Central Government and their Institutions for time to time GIS updation,
 - viii. To prepare & get approval of GIS policy of WRD,
 - ix. Utilise Data Base updation tools & techniques regularly,

x. To Plan training & Skill Development to Departmental Engineers at National & International Level.

xi. To do every related activity for use of latest GIS technology in WRD, Jharkhand.

4. यह जी०आई०एस० कोषांग (GIS Cell) विभाग के सभी स्थापनाओं एवं परियोजनाओं के लिए GIS आधारित समस्त कार्यों का नीति निर्धारण एवं कार्यान्वयन कर सकेगा।

मुख्यालय स्तरीय इस कोषांग के साथ समन्वय के लिए सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित, परन्तु मोनिटरिंग छोड़कर), निदेशक (भूगर्भ जल निदेशालय) एवं प्रबंध निदेशक, झालको अपने-अपने परिक्षेत्र के लिए एक-एक कोषांग का गठन एवं इसे क्रियाशील बनाकर दिनांक 30.08.2018 तक मुख्यालय को सूचना उपलब्ध करा देंगे।

क्षेत्रीय स्तर पर गठित कोषांग की जिम्मेवारी सुयोग्य कार्यपालक अभियंताओं को दी जायेगी, जिसमें एक सहायक अभियंता एवं दो कनीय अभियंता होंगे। सहायक एवं कनीय अभियंताओं को नामित करते समय यथासंभवन यह ध्यान रखा जायेगा कि उन्हें उच्चतर शिक्षण/प्रशिक्षण की डिग्री हो एवं उनकी अभिरुचि भी इस कोषांग में कार्य करने की हो।

5. जी०आई०एस०कोषांग में नामित सभी पदाधिकारी अपने कार्यों के अतिरिक्त सुरुचि एवं innovative Ideas एवं दूरस्थ Vision के साथ अपने कार्यों का संपादन करेंगे एवं इसके लिए आवश्यकतानुसार उन्हें उच्च प्रशिक्षण एवं कौशल विकास समय-समय पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/810/2018- 733 राँची/दिनांक-06.08.2018

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/810/2018- 733 राँची/दिनांक-06.08.2018

प्रतिलिपि:-JSAC, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं दिनांक 11.07.2018 के Workshop में हुये विमर्श तथा निर्णयों को कार्यान्वित कराने के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/810/2018- 733 राँची/दिनांक-06.08.2018

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख-I/II, के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि GIS के क्षेत्र में गठित टीम को अपना दिशानिर्देश देते हुये विभाग में GIS लागू करवाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे।

(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/810/2018- 733 राँची/दिनांक-06.08.2018

प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)/निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची/प्रबंध निदेशक, झालको, राँची/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने अधीनस्थों को उपरोक्त आदेश से अवगत कराने एवं इनके अनुपालन हेतु सभी कार्रवाई करने का कष्ट किया जाये।

(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/810/2018- 733 राँची/दिनांक-06.08.2018

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-1, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-2, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सहायक अभियंता (MIS), योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/कनीय अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/810/2018- 733 राँची/दिनांक-06.08.2018

प्रतिलिपि:-वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव